"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The Motion was adopted.

SHRI CHITTA BASU : Sir, I introduce the Bill.

BANNING OF COMMUNAL PARTIES IN INDIA BILL*

SHRI G.S. NIHALSINGHWALA (Sangrur) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for banning all communal parties functioning all over India.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for banning all communal parties functioning all over India."

The Motion was adopted.

SHRI G.S. NIHALSINGHWALA : Sir, I introduce the Bill.

16.03 hrs.

RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) BILL—(Contd.)

MR. SPEAKER : Now we take up further consideration of the motion moved by Shri Surjan Bhan on 23 March, 1984, I may mention that the time already taken on this is 7 hours and 13 minutes as against the allotted time of 7 hours. On the last occasion, the mover was replying. He had already taken 27 minutes. He may take another 10 minutes to finish his reply. I hope, the House will agree to this.

*Published in Gazette of India Extra Ordinary Part II, Section 2 dated 27.7.1984.

श्री सूरजभान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जो चर्चा हुई है, उस में 26 सम्मानित सदस्यों ने हिस्सा लिया है। मैं सब का तहे-दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पर मैं चौधरी सुन्दर सिंह, श्री राकेश, श्री पासवान, श्री जगपाल सिंह, श्री गंगवार, श्री गिरधारी लाल डोगरा, श्री अराकल, श्री राठौर, श्री राजेश कुमार सिंह, श्री सत्यनारायण जटिया, श्री व्यास और दूसरे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। इनके साथ ही मुझे खास तौर से श्री एम० सी० डागा का शुक्रिया अदा करना है। वे एक ही व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस बिल का विरोध किया।

16.04 hrs.

[SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*]

बाकी सब ने इस बिल की हिमायत की है। डागा साहब ने जिन कारणों से विरोध किया, उन का जिक्र मैं बाद में करूंगा लेकिन एक बात मैं शुरू में कहना चाहता हूं कि इस बिल में कोई नई बात नहीं है। सरकार ने बहुत पहले से कुछ आर्डर जारी किये हुये हैं, आदेश दिये हुए हैं और उन्हीं को मैंने इस बिल में इनकारपोरेट किया है। यह एक किताब है, जिसे मैं कभी-कभी लाल किताब कहता हूं। यह क्रोशेर 370 पेजेज का है और इसमें सारे आदेश लिखे हुए हैं।

मैंने इस 370 पेज की किताब के बजाए 10 सफे का एक छोटा सा बिल आपके सामने पेश किया है। अगर यह बिल कानून की शक्ल ले ले तो हरिजनों और आदिवासियों के साथ जो साल-ब-साल ज्यादतियां हो रही हैं वे दूर हो जायें। स्वर्गीय बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने जो कुछ भी संविधान में लिखा था वह लिखा हुआ भी वगैर लिखा हुआ बन कर रह गया है। आज 37 सालों की आजादी के बाद भी मैं हरिजन और आदिवासियों के लिये यह कहने पर मजबूर हूं—

हर मोड़ पर मिल जाते हैं हमदर्द हजारों
शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं ।।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आपने अपने शासन में उनके लिए यह बिल पास क्यों नहीं किया ?

श्री सूरजभान : हम ढाई साल शासन मे रहे और आप 33 साल शासन में रहे हैं। अगर हम ढाई साल में उनके लिए कुछ नहीं कर सके तो जो हमारा हश्र हुआ आपका भी वही हश्र होने वाला है जो कि हमारा 1980 में हुआ।

सभापति महोदय, मुझे पता है कि इस बिल का क्या हश्र होने वाला है ? लेकिन इस के बावजूद भी मुझे इल्म है—अपनी नाकामियां का—मगर फिर भी बस्त आजमाने चला हूं। कांग्रेस पार्टी इस बिल को पास न होने देने का इरादा कर चुकी है लेकिन फिर भी मैं उनकी जमीर से अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने संविधान में जो कुछ लिखा है उसको तो आप अमल में लाइये। आपने इन 37 सालों में क्या किया है कि आपने एक मटका तो उनके लिये रख दिया है इसमें ऊपर से पानी गिरता दिखाई देता है लेकिन उसके नीचे सुराख किया हुआ है जिससे कि पानी की एक भी बूंद उसमें नहीं टिकती है। हरिजनों के साथ अब तक यही हुआ है।

सभापति महोदय, परसों एक बात की जानकारी मिलने के बाद मुझे बहुत हैरानी हुई। 12 जून को नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग हुई। उसमें सारे प्रदेशों के मुख्य मंत्री आये। उस मीटिंग में जो कुछ डिस्कस हुआ उस सारी बात को कांफिडेंशल रखा हुआ है। लेकिन उस मीटिंग का जो एजेण्डा था उसकी एक आइटम मैं यहां पढ़ कर सुना रहा हूं। उस ऐजेण्डे की आइटम पैरा 13 में यह लिखा हुआ है —

"In the matter of reservations..." Reservation means all types of reservations.

".....particularly in educational institutions and public services, the question of building in an economic criteterion should be examined."

संविधान में इकोनोमिक क्राइटेरिये की बात नहीं कही गई है। उसमें शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन की बात कही गई है। क्या इकोनोमिक क्राइटेरिये की बात से यह साफ जाहिर नहीं होता है कि कांग्रेस की हुकूमत यह फैसला कर चुकी है कि सेवंथ फाइव ईयर प्लान में रिजर्वेशन को खत्म करना है ? अगर यह बात गलत है तो यहां इसको साफ किया जाए। यह नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग के ऐजेण्डे पर है और उसकी एक आइटम रही है।

सभापति महोदय, आप भी पंजाब के रहने वाले हैं। आप भी इस कहावत से जो कि पंजाब में कही जाती है वाफिक होंगे। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरी नाक के लिए एक नथ गड़वा दो। इस पर पति कहता है कि तू नथ गड़वाने की बात कह रही है मैं तेरी नाक काटने जा रहा हूं। बिल्कुल ऐसी ही आपकी पालिसी रिजर्वेशन के बारे में है। हम कहते हैं कि रिजर्वेशन को इम्पलीमेंट करने के लिये कानून बनाओ, सरकार कहती है कि हम तो रिजर्वेशन को ही खत्म कर रहे हैं, तुम नथ बनवाने की कह रहे हो, हम नाक काट रहे हैं।

इसलिए मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब इस बात का जवाब दें कि ऐसी कोई आइटम ऐजेण्डे पर थी या नहीं थी। अगर थी तो मैं जानना चाहूंगा कि उसका क्या हश्र हुआ, क्या वह अप्रूव हो गई ? क्या आप सातवीं योजना में रिजर्वेशन को खत्म करने जा रहे हैं ? इसका आप जवाब दें।

सभापति महोदय, यह तो फ़ैक्ट है जो कि मैंने पढ़ कर सुनाया है इससे सरकार इंकार नहीं कर सकती है ।

सभापति महोदय, इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी ? एक तो बात यह है कि इस बिल के जरिये से गवर्नमेंट के सारे महकमों में इम्प्लीमेंटेशन में यूनीफार्मिटी लाना मेरा मक़सद है । गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से इस पर काम हो रहा है । बैंकिंग डिवीजन को मिनिस्ट्री आफ़ होम अफेयर्स ने इंस्ट्रक्शन जारी की कि रिजर्वेशन से प्रमोशन होने चाहिएं । 1972 में चिट्ठी जाती है और 1977 में उसको सरकुलेट करते हैं । 6 साल के बाद । 6 साल तक उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया । बताया गया कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने मिनिस्ट्री आफ़ होम अफेयर्स के आर्डर्स को एग्जामिन किया । कहने पर क्या एग्जामिन हो रहा है ? सीधी सी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ।

तो पहला मुद्दा तो यह है कि यूनीफार्मिटी आ जाये । दूसरा मद्दा यह है कि कोडीफिकेशन, ये सब चीजें एक जगह हो जाएं जो आज नहीं हैं । तीसरा मुद्दा यह है, टू ब्रिंग क्लेरिटी एण्ड रिमूव कन्फ्यूजन, साफ शब्दों में कोई चीज लिखी जाए, कोई कन्फ्यूजन न रहे । यह कन्फ्यूजन है इसलिए सालों से कुछ नहीं हो रहा है । केन्द्र के महकमों में नहीं हो रहा । स्टेटस में तो और बुरा हाल है ।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला है "देयर शैल बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन" पंजाब में सर्विसेज में रिजर्वेशन है, लेकिन पंजाब में से जो हरियाणा बना है, उनमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है । तो स्टेट्स में तो और भी बुरा हाल है । गवर्नमेंट आफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन हैं, कांस्टीट्यूशन में प्रावीजन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन हरियाणा कहता है कि हम नहीं करेंगे ।

इसको अमल में लाने के लिए मैंने इस बिल में एक पीनल क्लाज रखी है । अभी तक इसके अभाव में अमल नहीं हो रहा है । "जो आफिसर जानबूझ कर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो पद रिजर्व किए गये हैं, चाहे रिक्रूटमेंट में हो, चाहे प्रमोशन में हो, अगर उन पदों को शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नहीं देते हैं तो उसको 15 दिन की कैद हो और 500 रुपए जुर्माना हो ।" ये पीनल क्लाज जब तक नहीं होगी, ये पेनल्टी जब तक नहीं होगी तब तक इम्पलीमेंटेशन नहीं होगा । मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि मुझे 37 सालों में एक भी इस्टेंस बता दें जिसमें रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंटेशन न करने के लिए किसी भी अधिकारी को एक वार्निंग तक दी गई हो । बड़ी पनिशमेंट को तो आप छोड़ दीजिए । इसलिए इसकी जरूरत है उन इंस्ट्रक्शंस को कानूनी शक्ल दी जाए ।

सभापति महोदय, क्या यह पार्लियामेंट की कांपीटेंसी में भी है कि नहीं कि ऐसा कानून पास किया जा सके । कहीं ऐसा न हो कि हमारी कांपीटेंसी में न हो । धारा 246 और लिस्ट नम्बर एक, आइटम नम्बर 7, उसमें भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट सेन्ट्रल सर्विसेज के लिए कानून बना सकती है । इसी तरह से उसी धारा के तहत एंट्री नम्बर 4 लिस्ट नम्बर दो में स्टेट के बारे में स्टेट सर्विसेज कानून बना सकती हैं । तीन स्टेट सर्विसेज पहले से ऐसा कानून बना चुकी हैं । उड़ीसा, वैस्ट बंगाल, मणिपुर । सेंटर को तो एक नमूना बनना चाहिए था स्टेट्स के सामने मगर । स्टेट्स में कानून बना सकता है तो सेंटर क्यों नहीं कर सकता । मगर बदकिस्मती से सेंटर इस पर कुछ कर नहीं रहा है ।

सभापति महोदय, रिजर्वेशन के खिलाफ अभियान हो रहा है। नान शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आर्गनाइजेशंस एजीटेशन कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर और मध्यप्रदेश के गवर्नर, इतने बड़े पद पर बैठकर उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन गलत है। रिजर्वेशन का विरोध किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वे इस का विरोध कर रहे हैं। और असल में विरोध कौन कर रहा है? सीनियर क्लास वन आफिसरज।

रिजर्वेशन सभी सर्विसेज में है, लेकिन सीनियर क्लास-वन में नहीं है। क्या विधान में इस बात की छूट दी हुई है? डा. अम्बेडकर ने यह कहीं नहीं लिखा था :

"There shall be reservations except in senior class I services."

सीनियर क्लास-वन में रिजर्वेशन इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि एक्जीक्युटिव आर्डर्स, वही लोग इश्यु करते हैं। खुद के ऊपर तो लागू नहीं किया और Non S/C S/T क्लास-थ्री और फोर्थ के लोगों को कहते रहो कि हम तुम्हे सहारा देंगे। नॉन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स आरगेनाइजेशन्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है जबकि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स आरगेनाइजेशन्स को मान्यता नहीं दी जा रही है। अगर, आप सिन्सीयर हैं, रिजर्वेशन को इम्पलीमेंट करने के लिए तो कानून बनाइये, जिस आधार पर मैंने बिलदिया है। इसके साथ-साथ शेड्यूल्ड कास्ट्स आरगेनाइजेशन्स को मान्यता दीजिए ताकि वे आपकी सहायता कर सकें। यह कहा जाता है कि कास्ट के आधार पर हम मान्यता नहीं देंगे। Scheduled Caste is not a cast, it is a combination of castes.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): It is a collection of castes.

SHRI SURAJ BHAN : Anyway, collection of castes, but it is not a caste. I agree with you.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है? उनके साथ डिस्क्रीमिनेशन क्यों किया जा रहा है? परिवार में जब एक आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है कि उसका खून बनना कुछ कम है इसलिए उसे दूध और कुछ फल दिए जाएं। यह भी उस बीमार को दूध और फल देने की बात है ताकि उसकी सेहत परिवार के दूसरे लोगों की तरह ठीक हो सके। अगर इस नजरिए से रिजर्वेशन को देखेंगे तो मनों में मैल नहीं होगा। हमारे मुल्क की मौजूदा शक्ल रिजर्वेशन की वजह से है। अगर पूना पैक्ट न हुआ होता तो देश की क्या शक्ल होती, इसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते।

The Government should not betray the Poona Pact.

शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ धोखा मत कीजिए। महात्मा गांधी के साथ स्व. डा. अम्बेडकर ने समझौता किया था और मुल्क भर में एजीटेशन हुआ था। डा. अम्बेडकर ने तमाम हालात को देखते हुए पूना पैक्ट किया था। हम भी यह नहीं चाहते कि कोई शेड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति अगर अमीर हो गया है तो उसके बच्चे की फीस माफ की जाए। लेकिन, उसे आप डी-शैड्यूल कैसे करेंगे? यह कैसे कहेंगे कि वह शेड्यूल्ड कास्ट नहीं रहा। शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स का कोटा पूरा हो जाता तो मुझे कोई एतराज नहीं था, आप रेस्ट्रीक्शन लगा देते। आंकड़े तो मैं पहले दे चुका हूं लेकिन थोड़े से आंकड़े अब भी देना चाहूंगा। केबीनेट सेक्रीटेरियेट में क्लास-वन सर्विसेज में शेड्यूल्ड कास्ट्स-नील, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स-नील, क्लास-टू में 9.68 परसेंट जबकि 15 परसेंट होना चाहिए था।

उसके बाद होम मिनिस्ट्री की फीगर्स देखिए—जिसकी जिम्मेदारी है कि वह इसको इम्पलीमेंट करे—वहां क्लास वन सर्विसेज में शैड्यूल्ड कास्ट्स में 3.83 प्रतिशत तथा शैड्यूल्ड ट्राइल्स में 1.57 प्रतिशत है। क्लास टू सर्विसेज में शैड्यूल्ड कास्टस में 6 51 तथा शैड्यूल्ड ट्राइब्स में 1.32 प्रतिशत है। इसके अलावा डिफैन्स सर्विसेज, डी. डी. ए. तथा डायरैक्टोरेट ऑफ एजूकेशन आदि का तो बुरा हाल है।

मैं आपको एक हैरानी से भरा तथ्य और देना चाहता हूं। यह बात तो समझ में आ सकती है कि किसी टैक्निकल पोस्ट के लिए कोई शैड्यूल्ड कास्टस या शैड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी नहीं मिलता, लेकिन कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में, जहां से हमारे अराकल साहब रिप्रेजैन्ट करते हैं और वह इनकी कांसटीटूऐंसी है, वहां के आफिसर कहते हैं कि हमें शैड्यूल्ड कास्टस में से स्वीपर नहीं मिल रहे हैं। लिग्नाइट कारपोरेशन के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमें स्वीपर नहीं मिल रहे हैं। स्वीपर लगाने के लिए आप क्या देखना चाहते हो, किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है ? क्या आप उस की आंखों को देखना चाहते हो, उस की नाक को देखना चाहते हो या उस के रंग को देखना चाहते हो। आज आप सदन के सामने आंकड़े प्रस्तुत कीजिए कि देश भर में एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में लाइव रजिस्टर में कितने शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम दर्ज हैं जो दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज के चक्कर काटते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि शैड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के लोग मिलते नहीं हैं। Is there any cordination between them ? एक तरफ कहा जाता है कि आदमी नहीं मिलते और दूसरी तरफ पिछले चार सालों में आपने कितनी पोस्टस डीरिजर्व की हैं, उनकी संख्या 4814 है, जिनमें क्लास-फोर भी शामिल हैं।

जिस वक्त यहां आदरणीय सेठी जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्जीक्यूटिव आर्डर्स ही काफी हैं। उनसे ठीक काम हो रहा है। यदि उनके हिसाब से ठीक काम होता तो आज इस बिल को लाने की जरूरत न पड़ती। कोई भी आदमी क्या दिल पर हाथ रख कर यह कहने के लिए तैयार है, कोई भी सैन्ट्रल मिनिस्टर या किसी विभाग का इन्चार्ज यह कहने के लिए तैयार है कि उसके विभाग में शेड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की भर्ती पूरी है ? कोई भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कह दे कि इनका कोटा पूरा है। मैं कहना नहीं चाहता, लोकसभा में भी यह कोटा पूरा नहीं है, जहां से सारी इंसट्रक्शन ईश्यू की जाती है। चूंकि बात चली है, इसलिए कहना पड़ रहा है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : लोकसभा का हाल भी बहुत बुरा है। यद्यपि संसद को कोट नहीं करना चाहिये, लेकिन संसद में क्या हाल है, वह भी रिकार्ड पर आना चाहिए।

श्री सूरजभान : सेठी जी ने एक दलील दी थी कि एक्जीक्यूटिव आर्डर्स से ही काम चल रहा है इसलिए कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके ध्यान में कुछ कोर्टस के फैसले लाना चाहता हूं, जिनमें कहा गया है कि एक्जीक्यूटिव आर्डर्स की कोई कीमत नहीं है। इण्डियन एक्सप्रेस में 29.12.80 को जो कुछ छपा था, उसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जिसकी हैडिंग थी—

JOB RESERVATION IN AIR INDIA STRUCK DOWN

> "The Bombay High Court has struck down the Directions issued by the President of India in 1975 providing for the reservation of jobs in Air India for Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

Allowing the costs of Rs. 3000/- each from Air India and the Union of India on

a writ petition filed by one Mr. B.R. Ago and others, Justice A.N. Modi said :

> "The directions were outside the purview of Section 34 of Air Corporations Act of 1953 and therefore *Ultra Vires*."

और सेठी साहब कर रहे हैं कि कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स ही काफी हैं। लेकिन हाई कोर्ट कहता है कि एक्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स की कोई कीमत ही नहीं है।

अब मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट करना चाहता हूं और यह उसका भी फैसला है—इकबाल सिंह एण्ड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब reported in A.I.R. 1972 S C. 1429.

उसका सिर्फ एक सैन्टैन्स पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "We agree with the High Court that the executive instructions issued by the State Government are void as they amount to alteration of the rules prescribed under Section 241 of the Government of India Act."

कैसे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एक्जीक्यूटिव इंसट्रक्शन्स ही काफी हैं जबकि हाई कोर्ट कहता है कि वह गलत हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको मानता है। कौन सी दलील है जो आप कहते हैं इस एक्ट की जरूरत नहीं है ?

MR. CHAIRMAN : Points are adequately made. You have to take into consideration the time factor. I have given you ten minutes, in fact twelve minutes. Please wind up.

श्री सूरजभान : यह करोड़ों शैड्युल्ड कास्टस और ट्राइब्स लोगों का मसला है। होम मिनिस्टर ने बीसों दलीलें दी हैं मुझे एक एक का जवाब देना है कि माननीय वेंकटसुब्बया कह दें कि सेठी साहब ने जो दलीलें दी थीं वह गलत हैं, मैं बैठ जाऊंगा। वरना मुझे एक एक दलील का जवाब देना पड़ेगा।

MR. CHAIRMAN : I admire. You have made all the points.

SHRI SURAJ BHAN : I have yet to make the points.

SHRI P.K. KODIYAN (Adoor) : The Minister has denied many of the arguments. He has, therefore, to made his points.

MR. CHAIRMAN : All right.

श्री सूरजभान : होम मिनिस्टर ने कह दिया कि एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स के साथ-साथ कमिश्नर फौर शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स है, पार्लियामैंटरी कमेटी औन शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स है, यह दोनों मिल कर देख सकते हैं। यह उनकी दलील है, मुझे उस को रिफ्यूट करना है। कमिश्नर की क्या हालत है ? उसके स्टेट के सारे दफ्तर तोड़ दिये गये हैं और अब तो दो ढाई साल से कोई कमिश्नर भी नहीं हैं। पार्लियामैंटरी कमेटी की क्या हालत है ? यह कमेटी 1968 में बनी थी। 1971 में पार्लियामैंट के चुनाव के बाद यह कमेटी तोड़ दी गई थी। बड़ा शोर मचाया तब कमेटी रिवाइज की गई। लेकिन कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेंस अमैंड कर दिये गये। उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि वह सरकारी कर्मचारियों के केस नहीं ले सकती।

इन इंस्ट्रक्शन के बावजूद कमेटी टेकअप करती रही। यह फाइल पर लिखा हुआ है। तो कमिश्नर और कमेटी की यह हालत है, फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कमिश्नर से। कमिश्नर, पार्लियामैंटरी कमेटी और होम मिनिस्ट्री के वर्किंग ग्रुप ने रिकमेन्ड किया है कि एक्ट बनना चाहिए। लेकिन नहीं बना रहे हैं।

होम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा बिल कामप्रीहैंसिव नहीं है । मैं पूछता हूं कि कौन सी कमी है । आर्गूमेंट के लिए मैं माने लेता हूं कि मेरा बिल कामप्रीहैंसिव नहीं है । आप वायदा कीजिये कि इसी सेशन में आप कामप्रीहैंसिव बिल ले आयेंगे, क्योंकि इस सेशन के बाद किस की हुकूमत आती है कुछ पता नहीं, लेकिन आपकी तो होगी नहीं । इसलिये वायदा कीजिये कि इसी सेशन में आप बिल ले आयेंगे । मैं अपना बिल वापिस ले लूंगा । हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसका और उसकी पार्टी का नाम संसदीय इतिहास में रहे । लेकिन मैं अपना नाम वापस लेने के लिये तैयार है, मुझे मन्जूर है मेरी पार्टी का नाम भी न आये, लेकिन आप एक कामप्रीहैंसिव बिल ले आइये, मैं अपना बिल वापस लेने के लिए तैयार हूं । कारण यह है कि मैं तो शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का भला चाहता हूं ।

गृह मंत्री जी ने बिल का जवाब देते हुए कहा कि सूरजभान जी के बिल में कमियां हैं और उसका हवाला उन्होंने यह दिया कि मैंने क्लाज 20 में कहा है कि अगर कोई आदमी ठीक ढग से पालन नहीं करता है तो 15 दिन की सजा हो । तो कुछ केसेज में तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, कुछ में कोई और करता है, तो क्या उनको भी आप पनिशमेंट देना चाहते हैं । मैंने इस क्लाज के साथ प्रोवी जो भी रखा था जो मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

Clause 20 says :

> "If an appointing authority makes an appointment in contravention of the provisions of this Act, he shall be punishable with fine which may extend to Rs. 500 or simple imprisonment for 15 days or both.
>
> Provided that special provisions shall be prescribed by appropriate authority when the appointing authority is other than government, public corporation, autonomous body etc."

अगर अफसरों के अलावा कोई और, एपाइन्टिग अथोरिटी या प्रेजीडेंट एपाइन्टमेंट देते हैं तो एक्चुअल जो एपाइन्टमेंट के आर्डर इश्यू करता है, उसको पनिश किया जाये । यह प्रावीजन उन्होंने पढ़ा नहीं ।

उन्होंने कहा कि हमने इन्सट्रक्शन्ज इश्यू किये हैं कि सख्ती से डील किया जाये अगर कोई इम्प्लीमैंटेशन नहीं करता है तो । मैं पहले कह चुका हूं कि एक केस भी बता दीजिए, अगर किसी को वार्निंग भी दी हो ? आज तक हुआ नहीं है ।

सभापति महोदय, मैं बिल्कुल आखिर में एक कम्पैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूं । जरा मुकाबला कर लीजिये ।

यह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की हालत है एक तरफ पूरा परिवार झोपड़ी या कच्चे कोठे में बैठा है । बकरी अगर है तो वह बीच में बंधी है । बच्चों की चीख चिल्लाहट, बीमार की कराहट, भूखे पेट, बगैर लिहाफ और रजाई, कड़कती सर्दी में मिट्टी के तेल के दिये की रोशनी में पढ़ने वाला हरिजन आदिवासी है ।

दूसरी तरफ ऊंचे समाज का लड़का, सुन्दर और एयरकंडीशन्ड कमरे में बैठकर रात को दिन बना देने वाली बिजली की चकाचौंध रोशनी में पूरी सुविधाओं के साथ अलग कमरे में पढ़ता है ।

हरिजन आदिवासी बगैर टाट और कुर्सी, वाले, बगैर छत वाले स्कूल में पढ़ता है और स्कूल से पहले और बाद घर के कामकाज में मां-बाप का हाथ बंटाता है या मेहनत मजदूरी करता है और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा पब्लिक स्कूल में पड़ता है, जरूरत

पढ़ने पर टीचर घर पर आकर उसको ट्यूशन पढ़ाता है ।

यानी अर्श और फर्श, या दूसरे शब्दों में आकाश और धरती पर रहने वाले एक ही इम्तहान में बैठें, मैं ऐसे हालात में सब को समान अवसर देने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यही तुम्हारा समाजवाद है ?

इन कड़वी सचाइयों को ध्यान में रखते हुए यह रिजर्वेशन संविधान में की गई कि उनकी यह हालत है और दूसरों की कुछ और हालत हैं। आप सब हाउस के अन्दर और बाहर हरिजन आदिवासियों के हित की बात करते हैं, ऊंची-ऊंची आवाज में कहते हैं, आज हमारा सब का इम्तहान है। यह छोटा सा बिल है, आप उसको कानून की शक्ल देकर हरिजन आदिवासियों के साथ अपने सच्चे हमदर्द होने का सबूत दीजिए। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस बिल की हिमायत करेंगे और कानून की शक्ल इसे देंगे ।

मैं अमेंडमेंट्स पर भी कुछ कहना चाहता हूं। डागा साहब की अमेंडमेंट है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाये। वह यहां हैं ही नहीं, तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह जो इन बिल को सर्कुलेट करना चाहते हैं, मैं उसको एक्सैप्ट नहीं करता हूं ।

कुछ और साथियों ने कहा कि सजा 15 दिन की कम रखी है, इसको 3 महीने या एक साल करो। मेरा कहना है कि यह 15 दिन ही काफी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लाई को अगर एक दिन की भी सजा हो जाय तो वह नौकरी से जाता रहेगा। इसलिये कोई भी शिड्यल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को नुक्सान पहुंचाकर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेगा ।

मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बिल की हिमायत कीजिए, इसके हक में वोट दीजिये और इसको कानून की शक्ल दीजिये ।

धन्यवाद ।

MR. CHAIRMAN : Now, I will put Amendment No 3 moved by Shri Mool Chand Daga to the vote of the House.

Amendment No. 3 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to provide for adequate representation of Scheduled Casts and Scheduled Tribes in posts and Services under the Government of India, be taken into Consideration"

The Lok Sabha divided.

Division No. I 16·43 hrs.

AYES

Agrawal, Shri Satish

Barman, Shri Palas

Chakraborty, Shri Satyasadhan

Dhandapani, Shri C.T.

Hasda, Shri Matilal

Jagpal Singh, Shri

Khan, Shri Ghayoor Ali

Kodiyan, Shri P.K.

Mandal, Shri Sanat Kumar

Mehta, Prof. Ajit Kumar

Mirdha, Shri Nathu Ram

Mukherjee, Shri Samar

Nadar Shri A. Neelalohithadasan

Pathak, Shri Ananda

Patil, Shri J. S.

Rajesh Kumar Singh, Shri

Rasheed Masood, Shri

Roypradhan, Shri Amar

Sinha, Shri Nirmal

Soz, Prof. Saifuddin

Suraj Bhan, Shri

Vajpayee, Shri Atal Bihari

Verma, Shri R.L.P.

Yadav, Shri R.P;

NOES

Ahmed, Shri Kamaluddin

Ajit Pratap Singh, Shri

Ankineedu, Shri M.

Ansari, Shri Z. R.

Anwar Ahmad, Shri

Bairwa, Shri Banwari Lal

Bhagat, Shri H. K. L.

Bhagwan Dev, Acharya

Bhoi, Dr. Krupasindu

Bhole, Shri R. R.

Brar, Shrimati Gurbrinder Kaur

Buta Singh, Shri

Chennupati, Shrimati Vidya

Dalbir Singh, Shri

Dass, Shri A. C.

Dennis, Shri N.

Dev, Shri Santosh Mohan

Dogra, Shri G. L.

Gogoi, Shri Tarun

Gomango, Shri Giridhar

Jaffer Sharief, Shri C. K.

Jain, Shri Virdhi Chander

Jena, Shri Chintamani

Jha, Shri Kamal Nath

Kamala Kumari, Kumari

Kidwai, Shrimati Mohsina

Kosalram, Shri K.T.

Krishna, Shri S.M.

Krishna Pratap Singh, Shri

Krishnan, Shri G.Y.

Mishra, Shri Ram Nagina

Mishra, Shri Nityananda

Pandey, Shri Krishna Chandra

Panika, Shri Ram Pyare

Phulwariya, Shri Virda Ram

Poojari, Shri Janardhana

Ranga, Prof. N. G.

Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda

Rathod, Shri Uttam

Reddy, Shri G. Narsimha

Reddy, Shri K. Brahmananda

Reddy, Shri M. Ram Gopal

Roat, Shri Jai Narian

Sathe, Shri Vasant

Satya Deo Singh, Prof.

Sebastian, Shri S. A. Dorai

Sethi, Shri Arjun

Shankaranand, Shri B.

Sharma, Shri Kali Charan

Sharma, Shri Nawal Kishore

Shastri, Shri Hari Krishna

Singaravadivel, Shri S.

Singh, Shri C. P. N.

Singh, Kumari Pushpa Devi

Singh Deo, Shri K. P.

Sinha, Shrimati Ramdulari

Soren, Shri Haribar

Subburaman, Shri A. G.

Sunder Singh, Shri

Swami, Shri K. A.

Tewary, Prof. K. K.

Thomas, Shri Skariah

Tudu, Shri Manmohan

Venkatasubbaiah, Shri P.

Verma, Shrimati Usha

Yadav, Shri Ram Singh

Yazdani, Dr. Golam

Zainul Basher, Shri

MR. CHAIRMAN : Subject to correction the result* of the Division is as follows :

Ayes	24
Noes	68

The motion was negatived.

---

*The following Members also recorded their votes :

AYES : Sarvashree Gangwar, Shri Harish Kumar, Rajda, Shri Ratan Singh Kabuli, Shri Abdul Rasheed and Paswan, Shri Ram Vilas.

NOES : Sarvashree Ranjit Singh, Soheng Tayeng and Bishnu Prasad

16.44 hrs.

ANTI-POPULATION EXPLOSION BILL

Shri P. RAJAGOPAL NAIDU: I beg to move :

> "That the Bill to provide for measures to restrict the growth of population in the country, be taken into consideration."

No amendment has been moved to this Bill and, therefore, I think that the whole House is in agreement with this Bill and I am hopeful of its being passed unanimously.

The other day Shrimati Mohsina Kidwai, in reply to a question has said that there is an increase of 25% of the population every decade in our country. The reasons she quoted are that the death-rate has lessened and birth-rate has gone up with the result that there is increase in population. She also said that people of this country have no concern at all for the growth of population. But, I differ from that. But I differ from that. When we got freedom, the population was only about 30 crores. According to the 1981 census, it was about 68 crores. Now it is crossing 70 crores. It is estimated that, by 2,000, it would be about one billion. It, is because of this population growth, the misery is increasing in our country. It is not that our Government has not done anything for the improve ment of the people. You can take some of these facts into consideration. For example, in 1950-51 the total irrigated area was 2,08,53,000 hectares whereas in 1976-77 it was 3,47,99 000 hectares. It has increased two fold. In the yield also there has been increase: with regard to rice, in 1950-51 it was 6.7 quintals and in 1978-79 it increased to 13.4 quintals; in regard to wheat, it was 6.6 quintals in 1950-51 and it increased to 15.7 quintals in 1978-79; in jowar it increased from 3.5 quintals to 7.2 quintals in 1978-79; in maize it increased from 5.3 quintals to 10.8 quintals. That means, even the yield has increased to a greate extent. The area under principal crops also has increased In 1970-71 it was 1,01,78,200 hectares and in 1980-81 it was 1,49,48,000 hectares. With all this increase, we are not able to feed our population to our satisfaction. Even now 50 per cent of the population are under the poverty line; they